पटना में उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

2023 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 754

पीएस से उत्पन्न. कांड संख्या-274 वर्ष-2001 थाना-बिदुपुर जिला-वैशाली

==========

राम स्नेही सिंह उर्फ राम स्नेही कुमार, पुत्र चंद्रमौली सिंह, निवासी ग्राम- मदुरपुर, थाना. बिदुपुर, जिला वैशाली।

... ... अपीलार्थी/मुखबिर

बनाम

1. बिहार राज्य।
2. पदम रंजन सिंह, पुत्र चंद्रमौली सिंह, निवासी ग्राम मदुरपुर, थाना. बिदुपुर, जिला-वैशाली।
3. ओम प्रकाश सिंह, पुत्र विश्वंभर सिंह, निवासी ग्राम मदुरपुर, थाना. बिदुपुर, जिला-वैशाली।

... ... उत्तरदाताओं

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री प्रणय कुमार,
राज्य के लिए वकील	:	श्री बिनोद बिहारी सिंह, अतिरिक्त पीपी
प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए	:	श्री एन.के. अग्रवाल. वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री धनन्जय क्र. सिंह, अधिवक्ता। सुश्री ज्योति रंजन झा, अधिवक्ता

==========

भारतीय दंड संहिता---धारा 307, 341, 323, 324, 504, 34---प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को बरी करने के खिलाफ अपील---प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ आरोप यह था कि संपत्ति विवाद के कारण उन्होंने फरसा और लाठी के माध्यम से अपीलकर्ता के सिर पर हमला करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया---तर्क यह है कि आरोपित अपराधों के लिए प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को बरी करने में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए आधार कानून की नजर में मान्य नहीं हैं क्योंकि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य और मेडिकल साक्ष्य को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया---प्रतिवादियों ने यह दलील देकर जवाब दिया कि प्रतिवादियों को कथित अपराधों से बरी करके सही किया गया है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र व्यक्ति की जांच नहीं की गई थी और अभियोजन पक्ष औपचारिक एफआईआर के पंजीकरण में 7-8 दिनों की अत्यधिक देरी को स्पष्ट करने में विफल रहा।

निर्णय: *अभियोजन पक्ष के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति औपचारिक एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी है---कथित घटना* ***18.10.2001*** *को हुई और सूचक का फर्दबयान उसी दिन दर्ज किया गया था, लेकिन औपचारिक एफआईआर* ***25.10.2001*** *को दर्ज की गई थी और इसे सीजेएम की अदालत में* ***30.10.2001*** *को भेजा गया था----फर्दबयान दर्ज करने*

*वाले उप-निरीक्षक और जांच अधिकारी को अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था, जो अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है--- अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि सूचक के महत्वपूर्ण हिस्से में जो चोट पाई गई थी, वह सूचक के जीवन के लिए खतरनाक थी---हमले के तरीके के संबंध में, सूचक द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि उसकी चोट की रिपोर्ट से नहीं होती है---ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से माना कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा---अपील खारिज। **(पैरा- 9, 10, 12, 19, 20)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरम: माननीय श्रीमान. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और
माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह
सीएवी निर्णय
(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)
दिनांक: 25-07-2024

बिदुपुर पीएस से उत्पन्न 2002 के सत्र परीक्षण मामले संख्या 437 में हाजीपुर में विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश -VII, वैशाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2023 के खिलाफ तत्काल अपील की गई है। 2001 का केस नंबर 274 जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 2 और 3 को उन अपराधों से बरी कर दिया है जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए थे।

2. अभियोजन की कहानी का सार इस प्रकार है:-

मुखबिर राम स्नेही सिंह उर्फ राम स्नेही कुमार के अनुसार दिनांक 18.10.2001 को वे अपने घर पर थे तभी उनके भाई पदम रंजन सिंह (प्रतिवादी संख्या 2) एवं उनके चचेरे भाई ओम प्रकाश सिंह (प्रतिवादी संख्या 3) फरसा एवं लाठी से लैस होकर वहां आये और गाली-गलौज करने लगे तथा जब उन्होंने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण भड़क गये और इसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उनके सिर पर फरसा से प्रहार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिये गये निर्देश का पालन करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 ने भी लाठी से उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जब वे चिल्लाये तो उनकी पत्नी, उनके चाचा विशम्भर सिंह, ललन सिंह, सह ग्रामीण सतेन्द्र कुमार सिंह एवं कुछ अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे

और उन्हें बचाया तथा इसके बाद उनकी पत्नी एवं उनके चाचा विशम्भर सिंह द्वारा उन्हें सदर अस्पताल, हाजीपुर ले जाया गया। सूचना देने वाले के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच शौचालय के चारों ओर दीवार बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जो घटना का मुख्य कारण था।

3. मुखबिर/अपीलकर्ता ने 18.10.2001 को अपना फर्दबयान (प्रदर्श- 1/1) दर्ज किया, जिसके आधार पर 25.10.2001 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 341, 323, 324 और 504 के तहत औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई। (संक्षेप में 'आईपीसी') और उसे 30.10.2001 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया गया (संक्षेप में 'सी.जे.एम.') । जांच पूरी होने के बाद कथित अपराधों के लिए प्रतिवादी संख्या 2 और 3 पर आरोप पत्र दायर किया गया था। संज्ञान के बाद, प्रतिवादियों का मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। उत्तरदाताओं पर आईपीसी की धारा 341/34, 504/34 और 323/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए और प्रतिवादी नंबर 2 पर आईपीसी की धारा 307 और 324 के तहत अपराधों के लिए अलग से आरोप लगाए गए। प्रतिवादी संख्या 3 पर भी आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के तहत अपराध के लिए अलग से आरोप लगाए गए।

4. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों से पूछताछ की जो इस प्रकार हैं: -

	नाम	
पी.डब्लू. 1	करूणा देवी	मुखबिर की पत्नी
पी.डब्लू. 2	सतेंद्र कुमार सिंह	अफवाह गवाह
पी.डब्लू. 3	राम स्नेही सिंह	सूचना देनेवाला
पी.डब्लू. 4	डॉ राजेंद्र कुमार	मेडिकल अधिकारी

5. दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष ने सूचक के फर्दबयान के साथ-साथ फर्दबयान पर सूचक की पत्नी के हस्ताक्षर को भी प्रमाणित किया तथा सूचक की चोट की रिपोर्ट को भी प्रमाणित कर उसे प्रदर्श के रूप में अंकित कराया जो इस प्रकार है:-

प्रदर्श 1	फर्दबयान पर करुणा देवी (सूचक की पत्नी) का हस्ताक्षर
प्रदर्श 1/1	फ़र्दबेयान
प्रदर्श 2	चोट की रिपोर्ट

6. अभियोजन साक्ष्य पूरा होने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में 'सी.आर.पी.सी.') के तहत प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के बयान दर्ज किए गए, जिसमें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से उनके खिलाफ दिखाई देने वाली मुख्य परिस्थिति को उन्होंने नकार दिया और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया लेकिन उन्होंने अपने बयानों में कोई विशेष बचाव नहीं किया।

7. बचाव पक्ष के साक्ष्य में प्रतिवादियों ने हाजीपुर में वैशाली के विद्वान उप-न्यायाधीश-IV की अदालत के समक्ष लंबित एक सिविल मामले से संबंधित विभाजन वाद संख्या 195/2005 (एक्सटेंशन-ए) का आदेश पत्र साबित किया।

8. दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखा कि कथित घटना के दौरान घटनास्थल पर शारीरिक रूप से मौजूद सूचनाकर्ता के पिता को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया और बिना किसी स्पष्टीकरण के एफआईआर दर्ज करने में लगभग 7-8 दिनों की अत्यधिक देरी हुई और अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को पेश करने में विफल रहा। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आगे अपने फैसले में कहा कि पक्षों के बीच विभाजन के मुद्दे पर एक सिविल विवाद था और सूचनाकर्ता, अभियोजन पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण गवाह, अपने आरोपों के अनुरूप नहीं रहा और विरोधाभासी बयान भी दिए। इन तथ्यों पर विचार करते हुए विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 2 और 3 को आरोपित अपराधों से बरी कर दिया।

<u>प्रस्तुति</u> **:-**

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रणय कुमार ने प्रस्तुत किया कि सूचक/अपीलकर्ता एकमात्र पीड़ित/घायल है जिसने अपना फर्दबयान दर्ज किया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और उसने एफआईआर में उसके द्वारा लगाए गए आरोपों का पूरी तरह से समर्थन किया और

उसकी पत्नी, जिसने पूरी घटना देखी, ने भी उसके मामले का समर्थन किया। सूचक के शरीर पर मिली चोटों के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य, विशेष रूप से सूचक के सिर पर फरसा के माध्यम से चोट पहुंचाने के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ सूचक/अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को बरी करने के आधार आरोपित अपराधों के लिए धारा 2 और 3 कानून की दृष्टि में मान्य नहीं हैं क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया, इसलिए विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को बरी करने में गलती की है और विवादित निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए।

10. इसके विपरीत, प्रतिवादी सं. 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.के. अग्रवाल ने इस अपील का पुरजोर विरोध किया और कहा कि प्रतिवादियों को कथित अपराधों से सही रूप से बरी किया गया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति की जांच नहीं की गई, जबकि सूचनाकर्ता और उसकी पत्नी के अलावा कई अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कथित घटना देखी थी और सूचनाकर्ता के पिता, जिन्हें एक महत्वपूर्ण गवाह भी कहा जाता है, अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए नहीं आए। आगे यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष औपचारिक एफआईआर दर्ज करने में 7-8 दिनों की अत्यधिक देरी के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, जबकि घटना के दिन ही पुलिस अधिकारी द्वारा मुखबिर का फर्दबयान दर्ज किया गया था और सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी रामेश्वर सिंह और उपनिरीक्षक संजीव कुमार सिंह, जिन्होंने मुखबिर का फर्दबयान दर्ज किया था, को पेश नहीं किया गया और उनसे पूछताछ नहीं की गई, इसलिए प्रतिवादियों को प्रासंगिक समय पर घटनास्थल पर मौजूद दोषी सामग्री के संबंध में उक्त गवाहों से जिरह करके प्रासंगिक और वास्तविक तथ्य जानने का अवसर नहीं मिल सका। इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों को बरी करने में कोई गलती नहीं की है और इस अपील में कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

11. हमने दोनों पक्षों को सुना है, विवादित निर्णय, ट्रायल कोर्ट के केस

रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया है और अभियुक्तों/प्रतिवादियों के बयानों को भी देखा है। यह मामला कथित तौर पर निजी प्रतिवादियों द्वारा मुखबिर (अपीलकर्ता) पर हत्या के प्रयास से संबंधित है, जिसे एकमात्र घायल बताया गया है। प्राथमिकी मुखबिर के फर्दबयान के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसने 18.10.2001 को सदर अस्पताल, हाजीपुर में अपना फर्दबयान दर्ज कराया था।

<u>प्रतिफल</u> :-

12. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, कथित घटना सूचक के घर के दरवाजे पर हुई। घटना 18.10.2001 को लगभग 8:00 बजे सुबह हुई जब सूचक अपने घर के दरवाजे पर बैठा था और आरोप के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2, पदम रंजन सिंह, सूचक का भाई और प्रतिवादी संख्या 3 ओम प्रकाश सिंह फरसा और लाठी से लैस होकर आए और शुरू में उन्होंने उसे गाली देना शुरू कर दिया और जब उसने विरोध किया, तो वे उग्र हो गए और उसके सिर पर फरसा से हमला किया जिससे वह गिर गया और उसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 से सूचक पर हमला करने का निर्देश मिलने पर, प्रतिवादी संख्या 3 ने लाठी से उस पर हमला करना शुरू कर दिया और परिणामस्वरूप, सूचक मदद के लिए चिल्लाया। उसका शोर सुनकर विशम्भर सिंह, ललन सिंह, सतेन्द्र कुमार सिंह, सूचक की पत्नी करुणा देवी तथा कुछ अन्य ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और उसे हमले से बचाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा सूचक/अपीलकर्ता पर कथित रूप से जानलेवा प्रयास का कारण शौचालय के चारों ओर चहारदीवारी के निर्माण में बाधा डालना और मना करना था, जिसका निर्माण प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जा रहा था। सूचक के अनुसार, घटना के बाद उसे उसकी पत्नी और उसके चाचा विशम्भर सिंह द्वारा सदर अस्पताल, हाजीपुर ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया।

13. उपरोक्त अभियोजन कहानी से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की पत्नी, उनके चाचा विशंभर सिंह, उनके रिश्तेदार ललन सिंह और उनके सह-ग्रामीण सतेंद्र कुमार सिंह ने इस घटना को देखा, इसलिए उन्हें कथित घटना को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जा सकता है। लेकिन उनमें से, अभियोजन

पक्ष ने सूचक के अलावा केवल सूचक की पत्नी और उसके सह-ग्रामीण सतेंद्र कुमार सिंह को पेश किया और उनसे पूछताछ की। इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से उनके साक्ष्य पर निर्भर करता है।

14. सूचक के सह-ग्रामीण सतेन्द्र कुमार सिंह से पी.डब्लू.-2 के रूप में पूछताछ की गई। उसने जिरह में यह बयान दिया कि उसने घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा था। इस बयान से यह स्पष्ट है कि गवाह घटना के समय कथित स्थान पर मौजूद नहीं था, इसलिए उसे सूचक द्वारा कथित घटना का झूठा चश्मदीद गवाह दिखाया गया। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि वह और अन्य लोग सूचक को अस्पताल ले गए और पाया कि प्रतिवादी संख्या 3 अस्पताल में मौजूद था। इस गवाह के उक्त बयान से प्रतिवादी संख्या 3 ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप कम विश्वसनीय लगते हैं क्योंकि इस गवाह के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 उस अस्पताल में मौजूद पाया गया था जहां घटना के बाद पीड़ित/सूचक को भी इलाज के लिए ले जाया गया था। तदनुसार, इस गवाह का साक्ष्य अपीलकर्ता द्वारा एफआईआर में लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

15. सूचक की पत्नी करुणा देवी से पीडब्लू-1 के रूप में पूछताछ की गई। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि कथित घटना 18.10.2001 को सुबह लगभग 8:00 बजे हुई, और उस वक्त वह अपने घर के दरवाजे पर मौजूद थी। इस कथन से यह माना जा सकता है कि उक्त साक्षी ने कथित घटना को शुरू से लेकर अंत तक देखा था। साक्षी ने अपने जिरह के पैरा संख्या 10 में यह बयान दिया है कि 08.05.2000 की सुबह एक पंच उसके घर आया और उसी दिन अभियुक्त/ प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने उसके और उसके पति के साथ गाली-गलौज की और मारपीट की घटना घटी। उसने उसी पैरा में आगे यह भी कहा है कि मारपिट की घटना अक्सर होती रहती है और कथित घटना के दिन यानी 18.10.2001 को यह अधिक गंभीर रूप से घटित हुई और वर्तमान मामले से संबंधित घटना 08.05.2000 के दिन की घटना से संबंधित है। इस साक्षी के बयानों से, जिसे महत्वपूर्ण साक्षी कहा गया है, कथित घटना दिनांक 18.10.2001 को नहीं हुई थी, बल्कि दिनांक 08.05.2000 को हुई थी तथा दोनों पक्षों के बीच

मारपीट की घटनाएं अक्सर होती थीं। इस साक्षी के साक्ष्य तथा एफआईआर के तथ्यों के बीच घटना की तारीख के संबंध में विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा, जब घटना घटित हुई, तब साक्षी घटनास्थल से एक छोटी (2.743 मीटर) की दूरी पर खड़ा था तथा इस संबंध में इस साक्षी का उसके जिरह के पैरा संख्या 13 में दिया गया बयान सुसंगत है तथा उसने उसी पैरा में कहा था कि उसके पति को अभियुक्तों ने चारों ओर से घेर लिया था। इस साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि घटनास्थल पर दो से अधिक व्यक्ति मौजूद थे और वह घटनास्थल के पास खड़ी थी और उसने देखा कि अभियुक्त ने उसके पति को चारों तरफ से घेर लिया है जो दो व्यक्तियों के लिए संभव नहीं था जबकि एफआईआर के अनुसार केवल दो व्यक्ति, प्रतिवादी संख्या 2 और 3, कथित घटना के कमीशन में शामिल थे। पी.डब्लू.-1 ने बयान दिया कि प्रतिवादी संख्या 3 एक सह-हिस्सेदार है जिसके साथ कोई विवाद नहीं है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 का सूचक के साथ कोई विवाद नहीं था, इसलिए उसके लिए कथित अपराध के कमीशन में शामिल होने का कोई कारण नहीं था, हालांकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच कुछ संपत्ति विवाद था, लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 3 के कथित घटना में प्रतिवादी संख्या 2 के साथ शामिल होने का कोई मकसद नहीं दिखाते हैं। पी.डब्लू.-1 के अनुसार, ललन सिंह और सतेंद्र कुमार सिंह नामक दो व्यक्ति भी घटना के गवाह थे, जो स्वतंत्र व्यक्ति प्रतीत होते हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उनमें से केवल एक को ही पेश किया गया और उससे पूछताछ की गई, जिसने घटना को देखने से इनकार किया।

16. सूचक/अपीलार्थी से पी.डब्लू.-3 के रूप में पूछताछ की गई तथा वह अभियोजन पक्ष का मुख्य गवाह है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया कि जब उसने मदद के लिए आवाज लगाई तो उसकी पत्नी जो वहां मौजूद थी, उसके चाचा विशम्भर सिंह तथा ललन सिंह वहां आए तथा उसे बचाया। सूचक के अनुसार घटना को देखने वाले इन व्यक्तियों में से केवल सूचक की पत्नी से ही अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई तथा अन्य को पेश नहीं किया गया। पी.डब्लू.-3 ने अपने जिरह में यह बयान दिया कि चिकित्सा

उपचार के पश्चात जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसके पिता के साथ भी मारपीट की गई तथा उन्हें घर से निकाल दिया गया। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रतिवादी संख्या 2 सूचक का सगा भाई है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 के आचरण के संबंध में सूचक के पिता का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वह अपना साक्ष्य दर्ज कराने के लिए निचली अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।

17. पी.डब्लू.-3, मुखबिर ने जिरह में आगे कहा कि उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसे आरोपियों ने पकड़ लिया लेकिन उसने उसी पैराग्राफ में आगे कहा कि घटना के दौरान किसी ने उसे नहीं पकड़ा। इस प्रकार, गवाह अपने रुख पर कायम नहीं रहा। पी.डब्लू.-3 के साक्ष्य के अनुसार, घटना में, उसके शरीर के अंगों से खून बहना शुरू हो गया था और उसकी शर्ट और लुंगी और जमीन पर भी खून के कुछ धब्बे/बूंदें थीं। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने मुखबिर के खून से सने कपड़ों और घटना स्थल पर खून का मिलना जैसी आपत्तिजनक सामग्री को साबित करने के लिए जांच अधिकारी को पेश और जांच नहीं की और साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को जांच अधिकारी से जिरह करके उक्त महत्वपूर्ण सामग्री के बारे में वास्तविक सच्चाई जानने का अवसर नहीं मिला। पी.डब्लू.-3/सूचनाकर्ता के अनुसार, लाठी के वार उसके दाहिने जांघ, बाएं पैर और दाहिने हाथ की उंगली पर किए गए थे। लेकिन पी.डब्लू.-4, जिसने सूचनाकर्ता की चिकित्सकीय जांच की थी, द्वारा दिए गए चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, सूचनाकर्ता के बाएं निचले पैर पर चोट के निशान और बाएं अनामिका पर सूजन के अलावा अन्य चोटें पाई गईं। उक्त चोटों में से एक भी चोट सूचनाकर्ता द्वारा बताए गए हमले के तरीके की पुष्टि नहीं करती है।

18. पी.डब्लू.-3 ने अपनी जिरह के पैराग्राफ संख्या 14 में कहा है कि वह नवानगर, जमालपुर स्थित एक दुकान में हिस्सा चाहता था और उक्त तथ्य का उल्लेख उसने एफआईआर में भी किया था और इसी कारण से हमेशा विवाद उत्पन्न होता था। इस कथन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच संपत्ति का विवाद था और यह एक स्वीकृत स्थिति भी है।

<u>निष्कर्ष</u> :-

19. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कथित घटना के संबंध में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलम्ब है। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार कथित घटना दिनांक 18.10.2001 को घटित हुई थी तथा सूचक का फर्दबयान उसी दिन सदर अस्पताल, हाजीपुर में दर्ज किया गया था, लेकिन औपचारिक प्राथमिकी दिनांक 25.10.2001 को दर्ज की गई तथा उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दिनांक 30.10.2001 को प्राप्त किया गया। अभियोजन पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुई अत्यधिक देरी के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा इसके अलावा, सूचक का फर्दबयान दर्ज करने वाले उपनिरीक्षक संजीव कुमार सिंह को भी अभियोजन पक्ष ने गवाह के रूप में पेश नहीं किया तथा जांच अधिकारी भी अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। पुलिस अधिकारियों की उक्त देरी और गैर-परीक्षा अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। प्रतिवादी संख्या 2 पर धारा 307 और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन डॉक्टर, पी.डब्लू.-4 मुख्य चोट के संबंध में अंतिम राय नहीं दे सके, जो कथित रूप से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सूचक के सिर पर पहुंचाई गई थी, घायल की एक्स-रे रिपोर्ट पेश न किए जाने के कारण और इस कारण से, अन्य चोटों के संबंध में अंतिम राय भी उक्त गवाह द्वारा नहीं दी जा सकी। इसलिए, अभियोजन पक्ष यह तथ्य स्थापित करने में विफल रहा कि सूचक की चोट रिपोर्ट (एक्सटेंशन-2) में विस्तृत चोट संख्या 5, जो सूचक के महत्वपूर्ण भाग में पाई गई थी, सूचक के जीवन के लिए खतरनाक थी।

20. अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की पूर्वोक्त चर्चा से हमारा यह विचार है कि सूचक और प्रतिवादी संख्या 2, जो अपने भाई हैं, संपत्ति के मुद्दों के कारण एक-दूसरे के साथ विवाद करते थे और एफआईआर में वर्णित कथित घटना के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 2 के पिता सहित कुछ स्वतंत्र व्यक्तियों, जिन्हें भी पीड़ित कहा जाता है, से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई, जबकि उनमें से कुछ ने घटना देखी थी। अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से मुखबिर (पी.डब्लू.-3) और उसकी पत्नी (पी.डब्लू.-1) के साक्ष्य पर भरोसा किया, लेकिन हमले के तरीके के संबंध में, मुखबिर द्वारा अपने साक्ष्य में लगाए गए आरोप की पुष्टि उसकी चोट

रिपोर्ट (एक्सटेंशन-2) से नहीं होती है और एफआईआर दर्ज करने में 7-8 दिनों का अस्पष्टीकृत अत्यधिक विलंब हुआ, जबकि मुखबिर का फर्दबयान घटना के दिन ही दर्ज किया गया था और मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष जांच अधिकारी और एक अन्य पुलिस अधिकारी को पेश करने में विफल रहा, जिसने मुखबिर का फर्दबयान दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के खिलाफ इन परिस्थितियों के मद्देनजर, हम ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष से संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपित अपराधों से सही रूप से बरी कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

21. निर्णय की प्रति तत्काल संबंधित ट्रायल कोर्ट को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

22. एलसीआर को तत्काल ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा जाए।

(शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूं।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

अन्नु/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।